कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त,उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक 1625 / 12–1 (1) दिनांक, देहरादून, फरवरी 12, 2015

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग,चकराता ।

विषयः– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी से कुल्हा मोटर मार्ग निर्माण (लम्बाई 7.300 कि0मी0)हेतु 3.15 हे0 वन भूमि का वन संरक्षण (अधिनियम,) 1980 के अन्तर्गत वन भूमि पर गैरवानिकी कार्य हेतु भारत सरकार की अनुमति प्राप्त करने विषयक प्रस्ताव।

संदर्भः– विषयाकिंत ऑन लाईन प्रोपोजन संख्या FP/ UK/ ROAD/ 8763/ 2014

महोदय,

विषयाकिंत प्रस्ताव ऑन लाईन दिनांक 4–2–2015 को भेजा गया है। प्रस्तावक द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी हार्ड कापी तथा ऑन लाईन भेजे गये प्रस्तावों का परीक्षण करने पर निम्न प्रकार कमियां पायी गयी हैं।

1–भाग–2 प्रपत्र जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरा गया है में निर्धारित कॉलमों की हॉ अथवा नहीं लिखा जाना पर्याप्त नहीं है। कॉलमों के अनुसार सुस्पष्ट सूचना दी जाय तथा मार्ग के समरेखण में बाधित होने वाले वृक्षों की संख्या का उल्लेख किया जाय।

2–भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र जो अंग्रेजी में स्थलीय निरीक्षण के संबंध में सूचना देने की अपेक्षा की गई है में वांछित सूचना देते हुए निरीक्षण की तिथि तथा अन्त में प्रस्ताव में वांछित भूमि में गैरवानिकी कार्य हेतु यथा स्थिति पर संस्तुति दी जाय।

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)उत्तर प्रदेश लखनऊ की पत्र संख्या 11/मिस0/618/2010/उ0प्र0/राज/यूसीपी/11 511 दिनांक 16–4–2014 द्वारा जारी चैक लिस्ट जो आपको इस कार्यालय के पत्रांक आर नं0 8512 /12–1 (1) दिनांक 06–06–2014 द्वारा प्रेषित की गई है के अनुसार ही प्रस्ताव में वांछित सूचना/ प्रमाण पत्र /दस्तावेज का परीक्षण करते हुए सुस्पष्ट प्रस्ताव भेजा जाय ताकि अनावश्यक रुप से पत्राचार को बढ़ावा न मिले।

तदनुसार प्रस्ताव में कमियों का निराकरण करें ।

भवदीय,

(आर0के0मिश्र)
वन संरक्षक,
यमुना वृत,उत्तराखण्ड,देहरादून ।